(1)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल

क्र. 474 /NREGS-MP/2008 भोपाल, दिनांक 1 / 01/2008

प्रति,

1. संभागायुक्त
   संभाग–भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर एवं होशंगाबाद
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला/जिला पंचायत– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद, रतलाम, रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, विदिशा, शाजापुर, भिण्ड, मंदसौर, नीमच एवं मुरैना।
   मध्यप्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के चयन एवं नियुक्ति विषयक।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के अंतर्गत 2 प्रतिशत के प्रशासनिक व्यय की सीमा में राज्य शासन द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन किया गया था। जिनमें प्रत्येक जनपद पंचायत में 2 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाना थी।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के अंतर्गत 3 प्रतिशत के प्रशासनिक व्यय की सीमा के अंतर्गत पदों का सृजन किया गया है। जिसमें प्रत्येक **जिला पंचायत** में 2 तथा प्रत्येक **जनपद पंचायत** में 2–2 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जावेंगी। इसी प्रकार, प्रत्येक **संभाग स्तर पर उपायुक्त (विकास)** कार्यालय में 1–1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जावेंगी।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते है :–

1.2 योजनांतर्गत पूर्व से शामिल 18 जिलों में विगत वर्ष राज्य शासन द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का चयन किया था एवं चयनित अभ्यार्थियों के पैनल जिले को उपलब्ध कराए थे। प्रत्येक जनपद पंचायत में 2–2 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाना थी। नियुक्ति आदेश जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी किए गए थे। परन्तु वर्तमान में कुछ जनपद पंचायतों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद अभी भी रिक्त है।

1.2 नवीन प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत जिला स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 2 पद तथा संभाग स्तर पर 1 पद का सृजन किया गया है।

1.3 योजनांतर्गत 13 नवीन जिलों की जिला पंचायत एवं प्रत्येक जनपद पंचायत में 2–2 तथा संभाग स्तर पर 1–1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति की जाना है।

2. अतः संभाग/जिला प्रशासन द्वारा जिले में आवश्यक कुल पदों की गणना कर ली जावें तथा संभाग/जिला/जनपद स्तर पर ही उक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही संपादित की जावें। चयन की प्रक्रिया (लिखित परीक्षा अथवा मौखिक परीक्षा अथवा दोनों तथा कम्प्यूटर पर अभ्यर्थी का कौशल परीक्षण इत्यादि) का निर्धारण भी संभाग/जिला/जनपद स्तर पर ही किया जावें।

3. पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 1 वर्ष के लिए की जावेंगी। संविदा की अवधि अभ्यार्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होंगी।

4. संविदा हेतु नियुक्ति की शर्ते एवं अनुबंध पत्र का प्रारूप संलग्न है। संभाग/जिला/जनपद स्तर पर आंकलन कर अन्य शर्तो को भी जोड़ा जा सकता है।

5. संभाग/जिला/जनपद स्तर पर रोस्टर प्रणाली अनुसार, आरक्षण व्यवस्था रहेगी।

6. चयन समिति :—

संभाग स्तर :—

अध्यक्ष — आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो उपायुक्त के पद से अन्यून स्तर का न हो।

सदस्य — संभागीय मुख्यालय के जिले के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (डीआईओ–एनआईसी), कम्प्यूटर साईंस/आईटी विशेषज्ञता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा कालेज के दो प्रोफेसर ।

जिला स्तर :—

अध्यक्ष :— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

सदस्य :— कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो डिप्टी कलेक्टर के पद से अन्यून स्तर का न हो, जिला सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (डीआईओ– एनआईसी), कम्प्यूटर साईंस/आईटी विशेषज्ञता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा कालेज के दो प्रोफेसर ।

जनपद स्तर :—

अध्यक्ष :— जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त कलेक्टर से अन्यून पद का न हो।

सदस्य :— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कम्प्यूटर साईंस/आईटी विशेषज्ञता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा कालेज के एक प्रोफेसर, जिले के एमआईएस प्रभारी।

7. अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरांत उनके अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन आवश्यक रूप से कराया जावें।

8. संभाग एवं जिला स्तर के अभ्यर्थियों के लिए मासिक पारिश्रमिक रूपए 5,500/– (रूपए पांच हजार एवं पांच सौ मात्र) तथा जनपद पंचायत स्तर के अभ्यर्थियों के लिए मासिक पारिश्रमिक रूपए 5,000/– (रूपए पांच हजार मात्र) होगा।

9. उपरोक्त पदों का पारिश्रमिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित जिलों में 4 प्रतिशत के प्रशासनिक के विरूद्ध विकलनीय होगा।

10. संभाग स्तर के पद का पारिश्रमिक संभाग में स्थित जिले में 4 प्रतिशत की राशी से प्राप्त कर भुगतान किया जावें।

12. डाटा एन्ट्री ऑपेरटर के पद हेतु निम्नांकित अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए। संभाग/जिला स्तर पर अन्य योग्यताओं को भी आवश्यकतानुसार जोड़ा जा सकता है।

पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्राथमिकता
प्रत्येक संभाग स्तर पर –1 पद, जिला पंचायत में 2 पद तथा प्रत्येक जनपद पंचायत में 2 पद	शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या पीजीडीसीए या पॉलिटेक्निक डीसीए तथा कम से कम हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग में 40 शब्द प्रतिमिनिट होना अनिवार्य है।	डाटा एन्ट्री का कम से कम दो वर्ष का अनुभव एवं एम. एस. आफिस (एमएस वर्ड, एक्सल, पावरपाईंट) एवं इंटरनेट पर कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।	शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव में दर्शाए मापदंडों के उच्च स्तर वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जावेंगी।

(अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)

1.2.08

(ए.के. सिंह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

भोपाल

50